सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 404 राँची, सोमवार

18 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

8 जून, 2015 (ई०)

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

अधिसूचना

5 जून, 2015

संख्या-04/कृ0के0यो0-64/2014-2098/कृ0-- **कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष** 2015-16 **से समूह में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु** National Mission on Sustainable Agriculture **की योजना मार्गदर्शिका में संशोधन करते हुए परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) का सूत्रीकरण किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्र एवं राज्य के बीच** 50:50 **के अनुपात में किया जाना है ।**

उक्त योजना के तहत् कृषक समूहों को जैविक पद्धति से खेती किये जाने का प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस क्रम में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है :-

क. लघु एवं सीमांत कृषकों को बढ़ावा ।

ख. अल्प उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्र ।

ग. राज्य के वर्षापात क्षेत्र ।

घ. प्रथम वर्ष में अल्प उर्वरक उपयोग करने वाले फसलों का चयन ।

ड़. परम्परागत पद्धति से खेती किये जाने वाले राज्य के क्षेत्र ।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार (OFAJ) को नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों/शर्त्तों एवं सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 404–50 ।